

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
देवा मील बनाम देवी लाल धार  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 158/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>देवा मील</u></p> <p>पिता श्री <u>लाल जी मील</u></p> <p>निवासी- <u>सुरजग</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सुरजग</u> <u>प.ए. सिलपुरा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>666, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 771/691</u></p> <p>कुल कीता <u>12</u> कुल रकबा <u>1.82</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजग</u> प.ए. <u>सिलपुरा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>666, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 771/691</u></p> <p>कुल कीता <u>12</u> रकबा <u>1.82</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षर <u>15 एच/15</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बिनी देवल) सहायक जज/रजिस्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>